कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
लोअर खण्ड आगरा नहर आगरा

अल्पकालीन निविदा सूचना संख्याः—05 / अ0अ0 / 2016—17

महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की ओर से निम्नलिखित कार्य हेतु हेतु सिंचाई विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों से मुहरबन्द निविदा दिनांक 16.01.2017 को अपरान्ह 2.00 बजे तक निम्नलिखित कार्यालय में आमंत्रित की जाती है।

1. कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, लोअर खण्ड आगरा नहर, आगरा।
2. कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अपर खण्ड आगरा नहर, मथुरा।

जो दिनांक 17.01.2017 को ही अपरान्ह 3.00 बजे अधिशासी अभियन्ता, लोअर खण्ड आगरा नहर, आगरा के कार्यालय कक्ष में खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र शर्तो एवं विशिष्टियों सहित दिनांक 10.01.2017 से 13.01.2017 तक प्रातः 11.00 बजे से सांय 04.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में अधिशासी अभियन्ता, लोअर खण्ड आगरा नहर, आगरा, अधिशासी अभियन्ता, अपर खण्ड आगरा नहर, मथुरा व पंजाब नेशनल बैंक, मुख्य शाखा संजय प्लेस, आगरा से फर्म / ठेकेदार अथवा फर्म / ठेकेदार के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्राप्त अधिकार पत्र, जिसमें प्रतिनिधि का हस्ताक्षर प्रमाणित किया हुआ हो जमा करने के पश्चात ही, निर्धारित मूल्य देकर प्राप्त किये जा सकते है।

धरोहर धनराशि एन0एस0सी0 / एफ0डी0आर0 अथवा नियमानुसार अनुमन्य अन्य प्रतिभूति (राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत) के रूप में जो कि अधिशासी अभियन्ता, लोअर खण्ड आगरा नहर, आगरा के पक्ष में बन्धक होगी, जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा स्वीकार नही की जायेगी। बैक गारंटी धरोहर धनराशि के रूप में मान्य नही होगी। एक या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।

क्र0 स0	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत् (रू0 लाख मे)	धरोहर धनराशि (रू0 हजार में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रू0 में)14.5 प्रतिशत वैट अतिरिक्त	निविदादाता की श्रेणी
1	पिनाहट नंदगवॉ मार्ग पर खजूरियनपुरा में चकरोड के पास नन्दगवां बम्बा पर पुलिया का निर्माण ।	4.36	9.00	तीन माह	150.00	''सी'' एवं उच्चतर

1—रू0 100.00 के नाम ज्यूडिशियल स्टैम्प पैपर पर 1.00 / — (एक रूपये) की रसीदी टिकट लगाकर अनुबन्ध की वैधता लिखना होगा कि दरें 90 दिवस तक मान्य होगी। इससे पहले निविदा / आफर वापस लेने पर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेंगी। नियमानुसार देय बिक्रीकर, आयकर, स्टैम्प ड्यूटी, रायल्टी देनी होगी। अनुबन्ध के समय नियमानुसार स्टैम्प ड्यूटी जमा करनी होगी।

2—यह निविदा सूचना वेबसाइट (http./upgov.up.nic.in) तथा सिंचाई विभाग की वेबसाइट (http./irrigation.up.nic.in) से भी डाउनलोड की जा सकती है। किन्तु इसकी लागत ''अधिशासी अभियन्ता, लोअर खण्ड आगरा नहर, आगरा'' के नाम राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत ड्राफ्ट के रूप में निविदा प्रपत्र के साथ आई0डी0टी0—1, आई0डी0टी0—2 आई0डी0टी0—3 व अन्य प्रपत्र / अभिलेखों के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किये गये निविदा प्रपत्र और सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के कार्यालयों में बिक्री के लिये उपलब्ध निविदा प्रपत्र में यदि कोई भिन्नता हो तो इस कार्यालय से उपलब्ध निविदा प्रपत्र ही अन्तिम रूप से मान्य होगा। हैसियत प्रमाण पत्र तथा चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष तक ही मान्य होगें।

3—विशिष्ट परिस्थितियों में निविदा जमा / खोलने के स्थान में यदि कोई ''परिर्वतन होता है तो इसकी सूचना'' निविदा जमा होने के तीन दिवस पूर्व अधोहस्ताक्षरी के कार्यलय के सूचना पट पर प्रदर्शित कर दी जायेगी।

4–कोई भी निविदादाता जो राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज हो, वह निविदा प्रक्रिया में भाग नही ले सकेगा।

5–राज्य बार कौन्सिल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता निविदा प्रक्रिया में भाग नही ले सकेंगें। अनुबन्ध/पट्टा गठित होने के बाद भी यदि उक्त तथ्य संज्ञान में आता है तो समाधान एवं संतुष्टि की दशा में ऐसे अनुबन्ध/पट्टे को सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।

6–यदि कोई निविदादाता निर्धारित विधि एवं प्रक्रिया के विरूद्व अनुबन्ध करने हेतु सक्षम प्राधिकारी पर दवाब/असम्यक असर डालता है, तो प्रश्नगत निविदादाता द्वारा न्यूनतम बोली की स्थिति में भी उसकी निविदा निरस्त की जा सकती है।

7–यह संज्ञान में आने पर कि कोई निविदादाता द्वारा किसी अन्य सम्भावित निविदादाता को उसे निविदा प्रक्रिया में भाग लेने एवं निविदा डालने से रोका गया हो या धमकी दी गयी हो तो ऐसे ठेकदार के साथ यदि अनुबन्ध हो भी गया हो तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।

8–चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र व स्वघोषणा प्रमाण पत्र के फर्जी या गलत पाये जाने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी तथा सम्बन्धित ठेकेदार का नाम इस कारण तत्काल संविदा काली सूची में दर्ज कर दिया जायेगा।

9–प्राप्त सभी निविदा प्रपत्रों में पहले यह परीक्षण किया जायेगा कि निविदादाता ने आई0डी0टी0–1, आई0डी0टी0–2, आई0डी0टी0–3 तथा निर्धारित प्रतिभूति धनराशि ठीक–ठीक उपलब्ध करायी है या नही। इनमें किसी प्रकार की कमी या असंतोषजनक होने की स्थिति में निविदादाता द्वारा दी गयी दरें तुलनात्मक विवरण में अंकित नही की जायेंगी।

10–निविदादाता द्वारा पैन (PAN) एवं टिन (TIN) नम्बर दिया जाना अनिवार्य होगा।

11– निविदा प्रपत्र में कटिंग इत्यादि स्वीकार नही की जायेगी।

12–ऐसे निविदादाता जिनका कोई सगा सम्बन्धी (First Blood Relation & Their spouse) जैसे कि अधिशासी अभियन्ता, खण्डीय लेखाधिकारी, सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता के पद पर आसीन होंगे को कार्य करने की अनुमति नही दी जायेगी। निविदादाता को इस सम्बन्ध में नाम तथा पद सहित कार्यकारी रिश्तेदार का एफीडेविट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जो कि खण्ड व वृत्त में कार्यरत है।

13–निविदा देने पर पावर आफ अटार्नी, पार्टनशिप डीड की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

14–निविदा प्रपत्र में दी गयी दरों को अंको एवं शब्दो में अंकित करना आवश्यक होगा यदि इनमे भिन्नता है तो शब्दों में लिखी दरें मान्य होगी।

15–कार्य की मात्रा कार्य स्थल पर घट–बढ सकती है।

अधिशासी अभियन्ता
लोअर खण्ड आगरा नहर
आगरा